किसानों हेतु प्रार्थना पत्र तथा दिशा–निर्देश

"कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना"

गन्ना तकनीकी परियोजना (Technology Mission on Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में गन्ने की नोटिफाईड़/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई करते हुए Promotion of Wide Row Spacing Method of Cultivation, Single Bud Chip Method of Sowing, Seed Nursery, Plantation of Sugarcane Variety Co-15023 and those farmers who will sell Sugarcane Variety Co-15023 as seed for cultivation of sugarcane प्रदर्शन–प्लॉट लगाने हेतु सहायक गन्ना विकास अधिकारी, यमुनानगर, नारायणगढ, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसों, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जीन्द, पलवल, भूना, गोहाना व महम के क्षेत्र के किसानों को अनुदान/सहायता राशि दी जानी है। उक्त विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन–प्लॉट लगाने हेतू इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन दिनांक 15.10.2024 से 31.12.2024 तक कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा–निर्देश वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

(किसान भाई आवेदन करने से पहले विशेष दिशा–निर्देश अवश्य पढ लेवें।)

Technology Mission on Sugarcane योजना 2024–25 के तहत Promotion of Wide Row Spacing Method of Cultivation, Single Bud Chip Method of Sowing, Seed Nursery, Plantation of Sugarcane Variety Co-15023 and those farmers who will sell Sugarcane Variety Co-15023 as seed for cultivation of sugarcane विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतू अनुदान/सहायता राशि हेतु प्रार्थना पत्र।	
1	किसान का नामः–
2	पिता/पति का नामः–
3	माता का नामः–
4	श्रेणी (सामान्य/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति):–
5	आधार कार्ड संख्याः–
6	परिवार पहचान पत्र संख्याः–
7	किसान का पताः– क) गांवः– ख) खण्डः– ग) तहसीलः– घ) जिलाः– ड) पिन कोडः– च) मोबाईल नं0:–
8	कुल जमीन का विवरण (कुल रकबा एकड़ में):–
9	प्रदर्शन प्लाट लगाने वाली जमीन का विवरणः–
10	गन्ने का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):–
11	यदि जमीन ठेके पर ली हो तो उसका विवरण
12	किसी एक मद में पात्रता/नियम व शर्तों अनुसार आवेदन करें। 1. Promotion of Wide Row Spacing Method of Cultivation (Acre): 2. Single Bud Chip Method of Sowing (Acre): 3. Seed Nursery 4. Plantation of Sugarcane Variety Co-15023 5. Those farmers who will sell Sugarcane Variety Co-15023 as seed for cultivation of sugarcane
13	सहायक गन्ना विकास अधिकारी का नामः–
14	बैंक खाते का विवरणः– (क) बैंक का नामः– (ख) ब्रांच का नामः– (ग) खाता संख्याः– (घ) IFSC कोडः–

तिथिः–

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

किसानों हेतू विशेष दिशा–निर्देशः–

1. Promotion of wide row spacing method of cultivation विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतू प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000/– रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
2. Single bud chip method of sowing विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतू प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000/– रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
3. "बीज नर्सरी" लगाने हेतू 5000/– रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। जिसमें सीड ट्रीटमैंट ड्रम खरीदने हेतू 2000/– रुपये प्रति ड्रम की दर से अनुदान/सहायता राशि भी सम्मलित है। किसानों द्वारा "बीज नर्सरी" हेतू प्रयोग में लाया गया गन्ने का बीज Moist Hot Air तथा फंफूदीनाशक से उपचारित किया जाना आवश्यक है तथा किसानों द्वारा उक्त नर्सरी हेतू गन्ने की बिजाई क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक (गन्ना अनुसंधान केन्द्र, सी0सी0एस0 एच0ए0यू0 उचानी या कृषि विज्ञान केन्द्र)/सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/ गन्ना प्रबन्धक चीनी मिल/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की उपस्थिति में की जाएगी।

   यदि किसी किसान के पास "Seed Treatment Drum" उपलब्ध नहीं है तो उस अवस्था में इच्छुक किसान को 2000 रुपये या वास्तविक खरीद मूल्य, जो भी कम हो, प्रति ड्रम की दर से बीज को फंफूदनाशक से उपचारित करने हेतू अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएगें। हालांकि यह सुविधा एक ड्रम प्रति किसान की दर से केवल उन्हीं इच्छुक किसानों को प्रदान की जाएगी जो बीज नर्सरी के लिए वैरीफिकेशन उपरान्त चुने जाएगें। बीज उपचार हेतू 'ड्रम' किसान द्वारा खरीदा जाएगा तथा उसकी रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी/फर्म को सहायक गन्ना विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
4. गन्ना किस्म सी0ओ0–15023 (को बढावा देने के लिए) प्रदर्शन प्लांट लगाने वाले किसानों को बीज खरीदने व कृषि सामग्री आदि के लिए 5000/– रूपये प्रति एकड़ अनुदान/सहायता राशि दी जाएगी। सहायता राशि सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।
5. गन्ना किस्म सी0ओ0–15023 का बीज के रूप में अन्य किसानों को बेचने के लिए उक्त किसान को 5000/– रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। 1 एकड़ के बीज को 7–10 एकड़ में बिजाई के लिए उपलब्ध करायेगा तदानुसार उक्त

किसान अनुदान राशि का लाभार्थी होगा। सहायता राशि सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. एक किसान को किसी एक मद (उपरोक्त क्र0स0 1 से 5) के अन्तर्गत अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र का प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतू सहायता राशि (मशीन किराया/मजदूरी व्यय/कृषि सामग्री हेतू) प्रदान की जाएगी।
7. किसानों को उपरोक्त अनुदान राशि गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दी जाएगी।
8. उक्त विधियों से गन्ने की खेती के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई में प्रयोग के लिए मशीन किराए, मजदूरी व्यय तथा कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु उक्त मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के द्वारा सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी/एन0जी0ओ0 तथा CCS HAU, and IFFCO & KRIBHCO या राज्य में किसी भी लाईसैंस धारक/Authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होगें।
9. योजना "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी।
10. आवेदन स्वीकार्य होने उपरान्त 10 दिन के भीतर सम्बन्धित किसान को कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी अन्यथा अगले पात्र किसान को सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
11. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन–प्लॉट क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देखरेख में लगाए जाएगें।
12. प्रदर्शन प्लॉटो के संचालन व क्रियान्वन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता होनी आवश्यक है:–
    (क) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
    (ख) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
    (ग) किसान का 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
13. किसानों द्वारा प्रदर्शन प्लाटो हेतू अनुदान के लिए www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन/प्रार्थना पत्र दर्ज करने की तिथि 15.10.2024 से 31.12.2024 तक रहेगी।

***